संख्या-361/2017/1868/22-2-2016-17(47)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 मई, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमन सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह, निवासी-जनपद-मेरठ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमन सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह, निवासी-दादूपुर, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी ने घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक अजब सिंह द्वारा अपनी पुत्री मंजू का अपहरण रजनीश और विक्रम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण दिनांक 24/25.05.1999 की मध्य रात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल, रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1054/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0-4, मेरठ के आदेश दिनांक 25.08.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-4703/2004 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2015 तक 16 वर्ष 03 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की आयु 56 वर्ष होने के कारण भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध जघन्य होने के कारण समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जा सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 17.01.2014 में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक अजब सिंह द्वारा अपनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुत्री मंजू का अपहरण रजनीश और विक्रम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 24/25.05.1999 की मध्य रात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल, रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमन सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अमन सिंह (बन्दी संख्या-9923) पुत्र श्री भूरे सिंह निवासी जनपद-मेरठ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-361/2017/1868(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-361/2017/1868/22-2-2016-17(47)/2017

दिनांक 24 मई, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमन सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह, निवासी-दादूपुर, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी ने घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक अजब सिंह द्वारा अपनी पुत्री मंजू का अपहरण रजनीश और विक्रम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण दिनांक 24/25.05.1999 की मध्य रात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल, रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1054/1999 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0, कोर्ट सं0-4, मेरठ के आदेश दिनांक 25.08.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं0-4703/2004 योजित की गयी। उक्त अपील में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी के 04 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.12.2015 तक 16 वर्ष 03 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की आयु 56 वर्ष होने के कारण भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध जघन्य होने के कारण समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, पुनः अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जा सकने, बन्दी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 17.01.2014 में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने घटना से कुछ दिन पूर्व मृतक अजब सिंह द्वारा अपनी पुत्री मंजू का अपहरण रजनीश और विक्रम द्वारा किये जाने की रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण बन्दी ने दिनांक 24/25.05.1999 की मध्य रात्रि में 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पिस्तौल, रायफल से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या की तथा 03 अन्य व्यक्तियों को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अमन सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in